



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दिनांक-20.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मोहित पुत्र संतराम उर्फ शम्भू निवासी पुवायां थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर मु0अ0स0- 193/2017 वाद संख्या 69/2017 धारा 363/366/376 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 20.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को0 मो0 हे0 का0 राजेश कुमार



पैरोकार - का0 गुलाम गौस